न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : (363/1996) 09/2019

जी.सी.एम.एस. : 2019/00021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर		1. समुद्रसिंह 2. दलपतसिंह पुत्रगण गुलाबसिंह जाति राजपुत निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना व अप्रार्थीगण उप.।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.02.22

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सबलपुरा तहसील रायपुर के खसरा नंबर 488,495,489 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भुमि मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में डोली बनाम गोपालजी महाराज वाके देह पुजारी बंशी वल्द नाथा कौम साद खुद काश्त के नाम दर्ज थी उपरोक्त भूमि को पुजारी द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अप्रार्थीगण को विक्रय कर हस्तांतरण की गई है, जो हस्तातंरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अंतर्गत अवैध है। अतः जिस नामान्तरण सख्या 110 दिनांक 1.1.72 से उक्त भूमि अप्रार्थीगण को हस्तान्तरण हुई है को खारिज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफेरेन्स प्रेषित किया जावें। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनाम पेश होकर जवाब पेश हुआ। तहसीलदार रायपुर से संबंधित राजस्व रेकर्ड तलब कर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई तथा रेफरेन्स प्रकरण दिनांक 21.09.2004 को माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को प्रेषित किया गया कि उपरोक्तानुसार सीधे ही जमाबंदी में किये गये विधि के विरूद्ध अंकन एवं नामान्तरकरण संख्या 110 को निरस्त करते हुए विवादित भूमि को पुनः मंदिर मुर्ति के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज होकर विद्वान एकलपीठ के रेफरेन्स संख्या 5822/2004 के निर्णय दिनांक 6.6.2016 को स्वीकार कर लिया है। इसके विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 0.2016 से नजरसानी संख्या 4586/2016 स्वीकार कर निर्णय दिनांक 6.6.2016 को निरस्त करते हुए रेफरेन्स पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश दिया। रेफरेन्स पुनः दर्ज

अति० जिला कलक्टर, पाली

कर दोनो पक्षो को सुना जाकर निर्णय दिनांक 23/07/2019 को पारित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि प्रकरण में अभिलेख का अवलोकन कर परिक्षण कर तथा बिन्दुओ का परिक्षण उपरान्त अप्रार्थीगण को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर यदि रेफरेन्स संस्तुति करना उचित पाते है तो उपरोक्तानुसार विवेचन के आलोक में तथा बहस कथनो के सन्दर्भ में तथ्यो का विवेचन कर स्वतः स्पष्ट सकारण रेफरेन्स करने हेतु अपनी संस्तुति भेज सकते है।

प्रकरण प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर नये सिरे से अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री दौलत मकवाना ने वकालतनामा मय लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसल किया गया। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के द्वौरान बताया कि प्रकरण को निर्णायक रूप से निस्तारित करने पूर्व इस पर विचार कर निस्तारण करना उचित प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में इन तथ्यों पर विचार करने हेतु रेफरेन्स को मण्डल द्वारा पुनः लौटाया गया है

अतः प्रकरण को तहसीलदार, रायपुर को पुनः बाद जांच एवं परिक्षण पश्चात् पेश करने के निर्देशो के साथ प्रेषित किया जाने उचित बताया है।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस में बताया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2019 में अभिनिर्धारित किया कि जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 में बंशी वल्द नाथा कौम साद खातेदार अंकित है। तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं की गई है तथा संदर्भ स्पष्ट नही किया गया है कि जिसके द्वारा यदि आदेश नही था तो ऐसा करने के संदर्भ को पूर्ण स्पष्ट नहीं किया है जिसके आधार पर विवादित भूमि मंदिर के नाम से हटकर बंशी के नाम दर्ज की गई। इससे पूर्व का कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नही किया है।

उक्त निर्णय दिनांक 23.01.2019 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में बंशी के नाम पूर्व में दर्ज होने का अंकन नही है अभिलेख के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाना उचित है कि संवत् 2011 के पूर्व का अभिलेख था अथवा नही यदि था तो उसकी स्थिति क्या है साथ ही संवत् 2011 से 2030 की भू–प्रबंध की जमाबंदी प्रस्तुत हुयी उसको बनने का आधार अभिलेख यथा खसरा एवं उससे पूर्व के भू प्रबंध यदि कोई था उस अभिलेख के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाना उचित है कि उसके इन्द्राजात क्या है। यदि ऐसा कोई अभिलेख नही था अथवा उपलब्ध नही है तो इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाना उचित है इसके साथ ही संवत् 2011 से 2030 की भू–प्रबंध की जमाबंदी के पश्चात् संवत् 2011 तथा 2012 में मिसल बंदोबस्त अलग से बनी थी अथवा नही? यह भी स्पष्ट किया जाना उचित है एवं यदि बनी तो इसके इन्द्राजात क्या थे।

उपरोक्त निर्णय दिनांक 23.01.2019 की रोशनी में निवेदन है कि दिनांक 18.02.1952 एवं दिनांक 15.10.1955 को यथा विद्यमान अभिलेख या इससे पूर्व के अभिलेख के बार में स्थिति ज्ञात कर उस पर तदनुसार विचार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है अतः रेफरेन्स का न्याय निर्णायक करने से पूर्व उपरोक्त पदो में वर्णित तथ्यों का अभिलेख

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

बाबत विस्तृत जांच अपेक्षित है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधूरा होने एवं अधिकार अभिलेखों के अभाव में प्रिमेच्योर होने से निरस्त फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्णय दिनांक 23.01.2019 अनुसार पत्रावली में आदिनांक सभी अभिलेख जमाबंदी गिरदावरी खसरा परिवर्तनशील, पत्रक, मिलान क्षैत्रफल इत्यादि का अवलोकन किये बिना ही प्रकरण प्रेषित किया है तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न नही की गई है तथा संदर्भ भी स्पष्ट नही है जिसके आधार पर विवादित भूमि मंदिर के नाम हटाकर बंशी के नाम दर्ज की गयी हो तथा इसके पूर्व का कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नही किया गया हैं। ऐसी स्थित में दिनांक 18.02.1952 एवं दिनांक 15.10.1955 को यथाविद्यमान अभिलेख एवं इससे पूर्व के अभिलेख के बारे मे स्पष्ट कर रेफरेन्स अग्रेषण करना उचित प्रतीत होता है ।

लिहाजा प्रकरण तहसीलदार, रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार यदि विवेचन पश्चात् उचित पाते है तो सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख एवं अप्रार्थीगणों के सही पते सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित करते हुए बाद जांच नये सिरे से तैयार कर प्रस्तुत कर सकते है।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24.02.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली